न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बालोतरा

पीठासीन अधिकारी श्री नरेश सोनी आर.ए.एस.

मुकदमा नंबर :– 146/2021

प्रार्थी :– हरीराम पुत्र प्रतापजी जाति खारवाल निवासी पचपदरा जिला बाड़मेर

बनाम

विप्रार्थी :– गफूर खां पुत्र बादरखां जाति मुसलमान निवासी सिंधियों की ढाणी मण्डापुरा तहसील पचपदरा जिला बाड़मेर।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए (1) राजस्थान टीनेन्सी एक्ट 1955

उपस्थित :– 1. श्री खुशालाराम पटेल वकील प्रार्थी

आदेश दिनांक :– 27.7.2022

प्रार्थना पत्र के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 138/978 रकबा 02 बीघा 16 बिस्वा ग्राम सिंधियों की ढाणी मण्डापुरा तहसील पचपदरा में अवस्थित है। जिससे लगता हुआ विप्रार्थी का खातेदारी खेत खसरा नम्बर 1089/117 रकबा रकबा 7–06–10 बीघा का है । प्रार्थी को अपने खातेदारी खेत से राजकीय कटाण मार्ग पर आवागमन हेतु विप्रार्थी के उक्त खातेदारी खेत की सीमा पर अवस्थित प्रचलित मार्ग का प्रयोग करना एकमात्र विकल्प है, जो आवेदन के संलग्न नक्शा परिशिष्ट'अ' में बिन्दु संख्या ए से बी से दरसाए अनुसार है। विप्रार्थीगण द्वारा रास्ते की भूमि अपनी खातेदारी में होने के कारण बरसात के मौसम में उक्त भूमि पर काश्त कर रास्ता अवरूद्व कर दिया जाता है । जिससे प्रार्थी के आवागमन की विकट समस्या उत्पन्न हो जाती है । अतः प्रार्थी ने अपने खातेदारी खेत से कटाण रास्ते तक आवागमन हेतु आवेदन के संलग्न प्रस्तुत नक्शा परिशिष्ट 'अ' में दिये गये बिन्दु संख्या ए से बी के स्थान को गैरमुमकिन रास्तें के रूप में राजस्व रेकर्ड एवं लट्ठा नक्शा में दर्ज करवाने हेतु यह आवेदन प्रस्तुत किया है ।

आवेदन दर्ज कर जरिये नोटिस विप्रार्थी की तलबी की गयी। बावजूद नोटिस तामील के विप्रार्थी अनुपस्थित रहे । वकील प्रार्थी ने अपने आवेदन के समर्थन में विवादित भूमि की जमाबंदी संवत् 2071–74 व उक्त भूमि का लट्ठा ट्रेस प्रस्तुत किया । आवेदन के तथ्यों के सम्बन्ध में तहसीलदार पचपदरा से मौका रिपोर्ट तलब की गयी ।

वकील प्रार्थी की बहस सुनी गयी ।

Signature Not Verified
Digitally signed by Naresh Soni
Date: 2022.10.01 19:48:14 IST
Reason: SelfAttested

दौराने बहस वकील प्रार्थी ने निवेदन किया कि प्रार्थी के खातेदारी खेत से राजकीय कटाण मार्ग तक आवागमन हेतु विप्रार्थी के खातेदारी खेत में से [illegible] रूप से प्रचलित रास्ता इकलौता विकल्प है, जिसकी प्रार्थी को आत्यंतिक आवश्यकता है।

बरसात के मौसम में विप्रार्थी द्वारा काश्त करके और बाड़ लगा कर उक्त रास्ता अवरूद्व किये जाने से प्रार्थी का आवागमन अवरूद्व हो जाता है । और उसे कृषी कार्य हेतु संयंत्र और ट्रेक्टर आदि ले जाने में भारी असुविधा का सामना करना पडता है । अतः प्रार्थी आवेदन के संलग्न दिये नक्शा परिशिष्ट 'अ' में बिन्दु संख्या ए से

उप खण्ड अधिकारी
(SDO) बालोतरा

बी को गैरमुमकिन रास्ते के रूप में दर्ज करवाने का अधिकारी है । प्रार्थी उक्त रास्ते की भूमि के बदले विप्रार्थी को डी.एल.सी दर की दुगनी राशि अदा करने हेतु सहमत है ।

हमने वकील प्रार्थी की बहस पर मनन एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य तथा तहसीलदार पचपदरा द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट मय नक्शा का गंभीरतापूर्वक अवलोकन किया । प्रार्थी ग्राम सिंधियों की ढाणी मण्डापुरा तहसील पचपदरा की खसरा संख्या 138/978 रकबा 02 बीघा 16 विस्वा का अभिलिखित खातेदार है, जिस पर उसका कब्जा काश्त है ।राजकीय कटाण मार्ग एवं प्रार्थी के खातेदारी खेत के मध्य विप्रार्थी का खातेदारी खेत अवस्थित है। प्रार्थी को अपने खातेदारी खेत से कटाण मार्ग तक आवागमन हेतु विप्रार्थी के खसरा संख्या 1089/117 खातेदारी खेत की दक्षिणी सीमा पर खसरा संख्या 1708/117 अवस्थित रास्ते तक गुजरना पडता है । उक्त रास्ता विप्रार्थी द्वारा अवरूद्व किये जाने से प्रार्थी के सामने आवागमन की विकट समस्या खडी हो जाती है । तहसीलदार पचपदरा की रिपोर्ट के अनुसार प्रस्तावित रास्ता प्रार्थी के आवागमन का इकलौता विकल्प है। जिसकी प्रार्थी को अपरिहार्य आवश्यकता है । प्रस्तावित रास्ते में प्रभावित रकबा 0–01 बीघा भूमि है । विप्रार्थी के खातेदारी खेत की डीएलसी दर 166680 रूपये पर बीघा है। उक्त दर से रास्ते में प्रभावित भूमि की डीएलसी दर की दुगनी राशि 16668 रूपयें बनती है, जो प्रार्थी द्वारा विप्रार्थी को अदा की जानी है ।

लिहाजा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जा कर खसरा संख्या 138/978 रकबा 02 बीघा 16 विस्वा ग्राम सिंधियों की ढाणी मण्डापुरा से राजकीय कटाण मार्ग तक आवागमन हेतु इस ग्राम के खसरा संख्या 1089/117 रकबा 7–06–10 बीघा में से, तहसीलदार तहसीलदार द्वारा जरिये पत्र कमाक–राजस्व/2020/1983 दिनांक 24.11.2021 को प्रेषित मौका फर्द प्रस्तावित भूमि, प्रार्थी द्वारा विप्रार्थी को निर्धारित क्षतिपूर्ति राशि रूपये 16668/– अदा करने, और उनके द्वारा नहीं लिये जाने पर राजकोष में जमा करवाये जाने पर, गैरमुमकिन रास्ते के रूप में दर्ज करने के आदेश पारित किये जाते है ।तहसीलदार पचपदरा को तद्नुसार खसरा संख्या 1089/117 रकबा 7–06–10 बीघा की 0–01 बीघा भूमि राजस्व रेकर्ड एवं लट्ठा नक्शा में गैरमुमकिन रास्ते के रूप में सरकारी खाते में अमल दरामद एवं लट्ठा नक्शा में दुरूस्ती सुनिश्चित करने हेतु आदेशित किया जाता है। तहसीलदार पचपदरा द्वारा जरिये पत्र कमाक–राजस्व/2022/1988 दिनांक 8.09.2021 प्रेषित मौका फर्द में एवं संलग्न नक्शा में चिन्हित रास्ता इस आदेश का अभिन्न [illegible] ।

Signature Not Verified

Digitally signed by Naresh Soni
Date: 2022.10.01 19:48:14 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
बालोतरा

आदेश आज दिनांक 27.7.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
उप खण्ड अधिकारी
बालोतरा
(SDO) बालोतरा